राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टिफिकेशन सं. 19/2017/चुरू
2. रेक्टिफिकेशन सं. 20/2017/चुरू

मैसर्स सर्राफ फर्नीचर, सरदार शहर जिला चुरू। .....प्रार्थी

बनाम

1. अपीलीय अधिकारी, बीकानेर।
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर। .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री सुरेशा ओझा, अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.06.2017

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णयों में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

रेक्टी.प्रा.पत्र सं.	कर बोर्ड की अ.सं.	कर बो. का नि.दि.	वर्ष	अपी. अधिकारी की अपील सं. एवं आदेश दि.	कर नि.अधि. का आ. दि.
1	2	3	4	5	6
19/17	2611/16	22.12.16	2014–15	अ.प्रा./बीका. स्थगन 6.12.16	28.09.16
20/17	2612/16	22.12.16	2015–16	अ.प्रा./बीका. स्थगन 6.12.16	28.09.16

2. व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2016 अन्तर्गत धारा 38(4) के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा प्रकरणों का निस्तारण करते हुए व्यवहारी द्वारा बिक्रीत फर्नीचर को अधिनियम के शिड्यूल V की प्रविष्टि संख्या 27 के तहत बिक्रीत वुडन फर्नीचर कर योग्य माना एवं उसका उपयोग घर में प्रयोग होना वाला सामान्य फर्नीचर माना, न कि प्राथमिक रूप से सजावट की वस्तुऐं। इन आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा पूर्व में अपील संख्या 2611 एव 2612/2016 अन्तर्गत धारा 38(4) वास्ते स्थगन प्रस्तुत की गई थी एवं उनके द्वारा न्यायिक व्यवस्थाऐं Hon'ble Supreme Court reported in 30 VST Page 114, Hon,ble Allahabad High court reported in 43 STC 107, Hon'ble Rajasthan High Court reported in 127 STC 47 and Hon'ble Rajasthan Tax Board reported in 3 Tax Update 320, 6STO 220, 10 STA 281, 3 STO 1 and 1998 Tax World 14(RTT) माननीय खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी एवं प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित थे। व्यवहारी द्वारा केवल बकाया मांग राशि को स्थगित करने हेतु अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु माननीय खण्डपीठ ने अपने

लगातार.....2

आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा व्यवहारी को अनुतोष ना देकर उसके विपरीत अपीलीय अधिकारी के अधिकारों को हनन करते हुए अपीलों का निस्तारण कर दिया एवं साथ ही अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रकरणों के गुणावगुणों को प्रभावित किये बिना उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जाता है। जबकि माननीय डी.बी. ने व्यवहारी द्वारा बिक्रीत फर्नीचर को वुडन फर्नीचर मानते हुए कर योग्य निर्धारित किया है। चूंकि मूल अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के अधिकारों का हनन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उन्होंने प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 को संशोधित करने का निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि धारा 33 का दायरा सीमित है एवं प्रार्थी संशोधन प्रार्थना पत्रों के माध्यम से पूर्व में पारित आदेश को परिवर्तित करवाना चाहते है, जो अन्यायोचित है। उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त परिशोधन प्रार्थना पत्रों को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव रेकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में अपील संख्या 2611 एवं 2612/2016 अंतर्गत धारा 38(4) वास्ते स्थगन चाहने हेतु प्रस्तुत की गई थी एवं मूल अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित थी, ऐसी स्थिति में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा गुणावगुणों पर प्रकरण का निस्तारण करना, वर्तमान में संशोधनीय है। अतः कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 में अंकित तथ्य "यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में विक्रय किया गया माल घर में प्रयोग होने वाला सामान्य फर्नीचर है ना कि प्राथमिक रूप से सजावट की वस्तुऐं।" अंकित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसा अंकित कर दिये जाने से अपीलीय अधिकारी के विनिश्चयीकरण के अधिकार में अतिक्रमण है अतः उक्त अंकन को तर्क किया जाता है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वें उनके समक्ष लम्बित अपीलों में बिना गुणावगुणों को प्रभावित किये हुए अपीलों का निस्तारण दो माह के भीतर करें।

7. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र इस हद तक स्वीकार किये जाते है एवं कर बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

29.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष